

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.8(ड)()बो.प्र./डीएलबी/2021/544

जयपुर, दिनांक: 24.03.2022

परिपत्र

विषय: प्रतिपक्ष नेता मनोनीत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय परिपत्र क्रमांक प.8(ड)()बो.प्र./ डीएलबी / 2021/4106-4322 दिनांक 09.11.2021 को तत्काल प्रभाव से Withdraw किया जाता है।




(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

जयपुर, दिनांक: 24.03.2022

क्रमांक: प.8(ड)()बो.प्र./डीएलबी/2021/545-815
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
05. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ, समस्त राजस्थान।
06. सुरक्षित पत्रावली।



(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी